न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 01/2025

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड़, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

जोजुबेन पुत्री श्री भीमाराम, जाति–रेबारी, निवासी–डेरना, तह0 आबूरोड़, जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 13 मार्च, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान खतौनी जमाबंदी में अंकित निम्न कृषि भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है को राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज कराने एवं विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैः–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम डेरना, पटवार हल्का, ओर तहसील– आबूरोड़	2076–2079 (संवत 2076)	23	128	0–2276	ब. 1

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 की पालना में अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिबंधित है। उक्त भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त प्रश्नगत भूमि मिसल बंदोबस्त में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी जिसका विधि विरुद्ध Conversion हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में यह आदेश पारित किया गया है कि "All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal." उक्त भूमि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की है। अतः प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड ने यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र, उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 0–2276 हेक्टेयर किस्म ब.1 के पुराने खसरा संख्या 114 किस्म

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नाला भूमि होना मानकर उक्त प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति राजकीय बिलानाम किस्म नाला भूमि दर्ज करवाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जबकि उपलब्ध पुराने राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 128 के पुराने खसरा संख्या 102 थे, जो रेकर्ड अनुसार नाला भूमि दर्ज नही थी, लेकिन पटवारी हल्का, ओर व तहसीलदार, आबूरोड़ ने उक्त प्रश्नगत भूमि के पुराने खसरा 114 किस्म नाला भूमि होना मानकर सहवन से अप्रार्थी के विरुद्ध यह गलत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का, ओर व ऑफिस कानूनगों, तहसील कार्यालय, आबूरोड़ ने इस न्यायालय में आज दिनांक 13–3–2026 को संयुक्त रिपोर्ट व संबंधित पुराने राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 0–2276 हेक्टेयर किस्म ब.1 के उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने खसरा संख्या 102 थे, जो रेकर्ड अनुसार नाला दर्ज नही है, इसलिये उक्त प्रकरण को पुनः लौटाने का अनुरोध किया है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ को पुनः लौटाया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 की पालना में अप्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित निम्न कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है:–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम डेरना, पटवार हल्का, ओर तहसील–आबूरोड़	2076–2079 (संवत 2076)	23	128	0–2276	ब. 1

प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र, उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 0–2276 हेक्टेयर किस्म ब.1 के पुराने संख्या 114 किस्म नाला भूमि होना मानकर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर उक्त प्रश्नगत भूमि के राजस्व रेकर्ड में पुर्ववर्ती स्थिति राजकीय बिलानाम किस्म नाला भूमि दर्ज करवाने वः, अनुरोध किया गया है, जबकि प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार, आबूरोड़ द्वारा जो राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 128 के पुराने खसरा संख्या 114 मेल नही खाते है।

इस संबंध में पटवारी हल्का, ओर एवं ऑफिस कानूनगों, तहसील कार्यालय, आबूरोड़ ने इस न्यायालय में दिनांक 13–3–2026 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम डेरना, पटवार हल्का, ओर, तहसील– आबूरोड़ के वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 128 रकबा 0–2276 हेक्टेयर किस्म ब.1 दर्ज है एवं उक्त खसरा संख्या 128 का पुराना खसरा संख्या उपलब्ध राजस्व रेकर्ड अनुसार 102 था एवं त्रृटिवश खसरा संख्या 114 मान लिया था। उक्त खसरा प्रारम्भ में खसरा संख्या 91 एवं उसके बाद खसरा संख्या 102 व 128 हुआ था जो रेकर्ड अनुसार कहीं भी नाला दर्ज नही है। पटवारी हल्का, ओर एवं ऑफिस कानूनगों, तहसील कार्यालय, आबूरोड़ ने उक्त रिपोर्ट के साथ राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल की पटवारी हल्का, ओर द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां भी संलग्न प्रस्तुत की है।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण में पटवारी हल्का, ओर व ऑफिस कानूनगों, तहसील कार्यालय, आबूरोड़ की उक्त रिपोर्ट दिनांक 13–3–2026 व उसके संलग्न प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम डेरना, पटवार हल्का, ओर, तहसील–आबूरोड़ के वर्तमान खसरा संख्या 128 के पुराने खसरा संख्या 102 है तथा प्रारम्भ में उक्त भूमि के खसरा संख्या 91 थे, जो रेकर्ड अनुसार नाला दर्ज नही था। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ ने उक्त प्रश्नगत भूमि के पुराने राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल की सही रुप से जांच किये बिना ही उक्त प्रश्नगत भूमि के पुराने खसरा संख्या 114 किस्म नाला भूमि होना मानकर अप्रार्थी के विरुद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 128 के पुराने खसरा संख्या 102 है, जो रेकर्ड अनुसार नाला दर्ज नही था। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज करते हुए तहसीलदार, आबूरोड़ को पुराने राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल की जांच करने के बाद प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाने पर ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है, ताकि पुनः ऐसी त्रृटि न हो।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, आबूरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि पुराने राजस्व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल की सही रुप से जांच करने के बाद, प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाने पर ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 13 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही